

पत्रांक 771 / 7 सी0
सेवा में,

दिनांक 31 मई / अप्रैल 2023

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय: जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत मजखाली मण्डल के मटीला से गैरोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.378 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0 149731/2021)

संदर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून का पत्र सं0 3089/एफ0पी0/यू0के0/रोड/149731/2021 दिनांक 24.06.2022 एवं आपका ई0डी0एस0 दिनांक 11.07.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सूचित की गयी आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार

निम्नवत है:-

क्रम सं0	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्ताव को वाइण्डिंग कर प्रेषित किया जाय।	प्रस्ताव को वाइण्डिंग कर लिया गया है।
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1 2 व 3 को प्रस्ताव में क्रमवार संलग्न करें।	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1 2 व 3 को प्रस्ताव में क्रमवार संलग्न कर लिये गये हैं।
3	प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये विषयक सूची संलग्न की जाय।	प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये विषयक सूची संलग्न कर ली गयी है।
4	प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट-1, A(iii) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित नहीं किया गया है। प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित करें।	प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट-1, A(iii) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित कर लिया गया है।
5.	प्रस्ताव में एन0पी0वी0 आंकलन नई दरों के अनुसार आंकलित कर संलग्न करें।	यह बिन्दु लो0नि0वि0 से सम्बन्धित नहीं है।
6	प्रस्ताव में हवाई दूरी के प्रमाण पत्र को आई0टी0 सेल से प्राप्त कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में आई0टी0सेल से प्राप्त किया गया हवाई दूरी का प्रमाण पत्र संलग्न कर लिया गया है एवं ऑनलाईन पार्ट 1 के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं044 पर भी अपलोड कर लिया गया है।
7	प्रस्ताव में ऑनलाईन भरे गये पैरा-ई0 में परियोजना निर्माण से 4800 पद सृजित होना अंकित किया गया है। कृपया स्पष्ट करें कि क्या परियोजना निर्माण से वास्तविक रूप से 4800 पदों का सृजन हो रहा है अथवा नहीं, उक्त संबंध में स्पष्ट सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें।	उक्त परियोजना के निर्माण से 4800 व्यक्तियों को अस्थायी रूप से रोजगार प्राप्त होगा।
8	प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम 2005 से सम्बन्धित सूचना ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित प्रपत्र क्रम सं0 6 से 11 तक संलग्न कर लिये गये हैं एवं ऑनलाईन पार्ट 1 के सैक्शन के0 में भी अपलोड कर लिये गये हैं।
9	प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन पार्ट 1 के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं0 45 में अपलोड कर ली गयी है। एवं प्रस्ताव में संलग्न भी संलग्न कर लिया गया है।

	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन पार्ट 1 के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं0 45 में अपलोड कर ली गयी है। एवं प्रस्ताव में संलग्न भी संलग्न कर लिया गया है।
11	प्रस्ताव में संलग्न प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की पठनीय प्रति प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में पठनीय प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न कर लिया गया है।
12	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना 7 मीटर एवं 9 मीटर RoW में अलग-अलग करते हुये कुल प्रभावित पेड़ों की व्यासवार सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना सूची (7 मीटर एवं 9 मीटर) ऑनलाईन पार्ट 1 के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं0 45 में अपलोड कर ली गयी है। एवं प्रस्ताव में संलग्न भी संलग्न कर लिया गया है।
13	प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट-11 के पैरा-13 Additional information में प्रपत्रों को उनके नाम के साथ अपलोड करने का कष्ट करें।	यह बिन्दु लो0नि0वि0 से सम्बन्धित नहीं है।
14	प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना सूची (7 मीटर एवं 9 मीटर) ऑनलाईन पार्ट 1 के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं0 45 में अपलोड कर ली गयी है। एवं प्रस्ताव में संलग्न भी संलग्न कर लिया गया है।
15	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की डी0एस0एस0 एनालिसिस की रिपोर्ट अपलोड नहीं की गयी है। उपरोक्त हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2044/1-42(111) दिनांक 22.02.2022 एवं शासन के पत्रांक 290/X-3-22/5(03)2019 के द्वारा पूर्व में लिखा गया है। अतः डी0एस0एस0 एनालिसिस रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव में अपलोड करने का कष्ट करें।	यह बिन्दु लो0नि0वि0 से सम्बन्धित नहीं है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मूल में 3 प्रतियों में।

भवदीय,

अधिशायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

पत्रांक /7सी0

तददिनांकित

प्रतिलिपि-सहायक अभियन्ता(पंचम), प्रा0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशायी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।